एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी',
जिसने केवल 10 वर्ष की सेवा की हो,
उसे पूर्ण पेंशन तथा पेंशन संशोधन का अधिकार प्राप्त है।
लेकिन एक BSNL सेवानिवृत्त कर्मचारी,
जिसने पहले 39 वर्ष तक दूरसंचार विभाग में सरकारी सेवा की,
बाद में सार्वजनिक उपक्रम में स्थानांतरित हुआ,
और आज भी उसी सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहा है,
उसे पेंशन संशोधन का अधिकार नहीं दिया जाता।

न्याय कहाँ है?

1 जुलाई 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पेंशन संशोधन (Pension Revision) मामले में दिया गया विचित्र निर्णय 108 पृष्ठों और 273 अनुच्छेदों का है।
इन 273 अनुच्छेदों में से –

* सरकार के अधिवक्ता की दलीलें – 27 अनुच्छेद
* प्रतिवादियों के अधिवक्ताओं की दलीलें – 28 अनुच्छेद
* न्यायालय का विश्लेषण एवं तर्क – 173 अनुच्छेद
* निष्कर्ष – 5 अनुच्छेद

हम इस निर्णय पर अनुच्छेदवार अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

तथ्य नहीं, बल्कि कानूनी कल्पनाएँ और विरोधाभास
BSNL की स्थापना की तिथि 1 अक्टूबर 2000 है, लेकिन निर्णय के अनुच्छेद 10 में इसे गलत रूप से 1 जनवरी 2000 लिखा गया है।

अनुच्छेद 2
यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि निर्णय की शुरुआत में ही By the impugned order(विवादित आदेश द्वारा) जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय इस मामले में प्रारम्भ से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित था।

अनुच्छेद 56
सरकार के अधिवक्ता ने बहस के दौरान एक चार्ट प्रस्तुत किया और कहा कि BSNL पेंशनभोगियों को CDA पेंशनभोगियों की तुलना में अधिक पेंशन मिल रही है।
इस पर न्यायमूर्ति हरी शंकर ने पूछा—
इस चार्ट के अनुसार IDA पेंशनभोगी की मूल पेंशन कम है, जबकि आप कह रहे हैं कि उनकी कुल (Gross) पेंशन अधिक है। क्या यही स्थिति है?"
सरकारी अधिवक्ता ने उत्तर दिया—हाँ।

किन्तु निर्णय के अनुच्छेद 56 में यह लिखा गया—

कभी भी कानून को न्याय मत समझिए। न्याय एक आदर्श है और कानून केवल उसका साधन।

"यह प्रस्तुत किया गया कि कर्मचारी A (केंद्रीय सरकारी कर्मचारी) की मूल पेंशन IDA स्केल में कर्मचारी B (CDA) स्केल वाले अवशोषित कर्मचारी) से अधिक थी।"

यह तथ्यात्मक रूप से गलत है।

जब सरकार के वकील ने कहा कि हमें अधिक पेंशन मिल रही है, तब हमारे अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि—

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन रू.9,000 है, जबकि BSNL के अवशोषित पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन मात्र रू.3,500 है। यह बात निर्णय के अनुच्छेद 70 और 79 में भी दर्ज है।

अनुच्छेद 16

निर्णय में कहा गया है कि पेंशन की जिम्मेदारी सरकार और PSU दोनों की है। यह तथ्य सही नहीं है। पेंशन के संबंध में PSU की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, सिवाय पेंशन अंशदान (Pension Contribution) जमा करने के। इसलिए अनुच्छेद 16 सत्य के विपरीत है।

अनुच्छेद 28

यह कहा गया है कि BSNL में 1 जनवरी 2007 से पेंशन संशोधन पूर्व–2007 और पश्चात–2007 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच असमानता दूर करने के लिए किया गया था। लेकिन अनुच्छेद 193 में इसका बिल्कुल विपरीत अर्थ निकाला गया है।

अनुच्छेद 31

7वें वेतन आयोग के अनुसार BSNL सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने का लाभ दिया गया। बाद के अनुच्छेदों में कहा गया कि यह BSNL के अवशोषित पेंशनभोगियों पर लागू नहीं होता।

अनुच्छेद 169

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 2 सितम्बर 2008 के कार्यालय ज्ञापन (OM) का उल्लेख है।

इसमें कहा गया है कि 2.9.2008 का OM उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है जो CCS Pension Rule, 1972 के अंतर्गत आते हैं। BSNL के अवशोषित कर्मचारी Rule 37A के अंतर्गत आते हैं, इसलिए प्रथम दृष्टया वे भी इस OM के दायरे में आते हैं।

अर्थात 2.9.2008 का OM अवशोषित कर्मचारियों पर भी लागू होता है।

अनुच्छेद 171

इसमें कहा गया है कि 1.9.2008 का OM केवल Pro- rata PensionerS तक सीमित था, जबकि 2.9.2008 के OM में ऐसी कोई सीमा नहीं है। यह अनुच्छेद 169 की पुष्टि करता है।

अनुच्छेद 180

इसके विपरीत कहा गया है कि 1.9.2008 और 2.9.2008 के OM तथा 27.4.2009 के स्पष्टीकरण को देखते हुए याचिकाकर्ताओं का पक्ष स्वीकार किया जाता है।

यह अनुच्छेद 169 के विपरीत है।

न्याय का सबसे घातक शत्रु पूर्वाग्रह है।
— अल्बर्ट आइंस्टीन

अनुच्छेद 173
यहाँ कहा गया कि 2.9.2008 का OM, 1.9. 2008 के समान है, जबकि पहले कहा गया था कि दोनों अलग हैं। यह एक और विरोधाभास है।

अनुच्छेद 207
इसमें कहा गया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने वाला DPE OM CPSE कर्मचारियों पर लागू नहीं होता।

यह अनुच्छेद 31 और 224 के विपरीत है।

निर्णय के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि यदि कोई सरकारी सेवा में बने रहने का विकल्प चुनता तो उसे Surplus Cell में भेज दिया जाता। इसी कारण अधिकांश कर्मचारियों ने BSNL चुना।

लेकिन अनुच्छेद 20 में कहा गया कि कर्मचारियों ने आकर्षक IDA वेतनमान के कारण BSNL चुना।
यह गलत व्याख्या है। वास्तव में Surplus Cell में भेजे जाने की आशंका के कारण अधिकांश कर्मचारियों ने BSNL का विकल्प चुना था।

अनुच्छेद 106
इसमें सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐसे निर्णय का उल्लेख किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 311 से संबंधित है। वह इस मामले से बिल्कुल असंगत (Irrelevant) है।

अनुच्छेद 109 में BSNL बनाम अजीत कुमार मामले का उल्लेख किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल 2008 को निर्णय दिया था।
इसके बाद 10 फरवरी 2010 को FCI मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक उपक्रम (PSU) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को IDA पर पेंशन तथा CDA पर महंगाई राहत (DR) का अधिकार है।

लेकिन इस महत्वपूर्ण निर्णय का कहीं उल्लेख नहीं किया गया।

अनुच्छेद 110
उच्च न्यायालय ने कहा कि वेतन आयोग (CPC) के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती।
जबकि किसी भी पक्ष ने CPC के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की मांग नहीं की थी।

अनुच्छेद 121
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि Rule 37A का हृदय उप–नियम (8) है।

लेकिन न्यायालय ने इस नियम का केवल शाब्दिक अर्थ लिया और उसके उद्देश्य तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अनदेखी की।

इस प्रकार की संकीर्ण व्याख्या संयुक्त सेवा पेंशनभोगियों के हितों के विरुद्ध है।

दिल का स्वास्थ्य केवल शरीर देखकर नहीं जाना जा सकता।

लय का एक गलत निर्णय
चार लाख परिवारों को प्रभावित करता है
और न्यायपालिका से उनका विश्वास डगमगा देता है।

उच्च न्यायालय ने त्नसम 37**A** के "हृदय" में ही छेद कर दिया।
अनुच्छेद 124 में फिर कहा गया कि पेंशन की गणना केवल सेवानिवृत्ति के समय होती है।

अनुच्छेद 125
Union of India बनाम AIBSNLPWA मामले का उल्लेख किया गया, जो पेंशन संशोधन नहीं बल्कि पेंशन विसंगति (Pension Anomaly) से संबंधित था।
न्यायालय ने उस निर्णय के अनुच्छेद 13 और 15 का उल्लेख किया, लेकिन जानबूझकर अनुच्छेद 11 और 14 छोड़ दिए।

अनुच्छेद 11 में कहा गया था—
"Rule 37A के अनुसार PSU में स्थायी रूप से समाहित सरकारी कर्मचारी उसी प्रकार पेंशन पाने के अधिकारी होंगे जैसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी।"
इस महत्वपूर्ण अंश का उल्लेख नहीं किया गया।
अनुच्छेद 14 में कहा गया था कि 7 अगस्त 2002 के आदेश के अनुसार CDA वेतनमान के स्थान पर IDA वेतनमान लागू किए गए और प्रत्येक गैर–कार्यकारी कर्मचारी को न्यूनतम रू. 1500 प्रतिमाह वेतन वृद्धि तथा रू. 750 प्रतिमाह पेंशन वृद्धि सुनिश्चित की गई।
इससे स्पष्ट होता है कि अधिक वेतन और अधिक पेंशन कैसे मिली, लेकिन इसे भी निर्णय में शामिल नहीं किया गया।
निर्णय पूरी तरह एकपक्षीय है और इसे चुनौती दी जानी चाहिए।

अनुच्छेद 131 और 132 में Rule 33 के Note 10 की गलत व्याख्या की गई है।

इस नोट में कहा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी स्वायत्त निकाय (Autonomous Body) में स्थानांतरित होकर सरकारी पेंशन बनाए रखता है, तो उस स्वायत्त निकाय में प्राप्त वेतन को पेंशन निर्धारण के लिए माना जाएगा।
निर्णय में इसे केवल Pro-rata Pensioners तक सीमित मान लिया गया, जबकि नोट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है।

यह पूरी तरह गलत व्याख्या है।

अनुच्छेद 138
इसमें कहा गया कि 25. 9. 2000 का कैबिनेट नोट केवल प्रशासनिक प्रस्ताव है और उसका कोई कानूनी बल नहीं है।

अनुच्छेद 172
न्यायालय ने कहा कि 2.9.2008 के OM को अलग–अलग नहीं पढ़ा जा सकता।

पेंशन और पेंशन संबंधी लाभ
पेंशन और पेंशनरी लाभ (Pensionary Benefits) दो अलग–अलग बातें हैं।

DOT कर्मचारियों ने सरकारी व्यवस्था पर पूरा विश्वास किया, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उसी व्यवस्था ने उन्हें निराश किया।

पेंशन मासिक भुगतान है और कर योग्य (Taxable) है।

पेंशनरी लाभ सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान है और कर योग्य नहीं है।

सरकार स्वयं दोनों को अलग मानती है, लेकिन न्यायालय ने इन्हें गलत तरीके से एक मान लिया।

DoT कर्मचारियों ने सरकारी व्यवस्था पर पूरा विश्वास किया, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उसी व्यवस्था ने उन्हें निराश किया।

उच्च न्यायालय ने PRC (Pay Revision Committee) की रिपोर्ट को गलत आधार पर समझा।

तीसरे वेतन संशोधन आयोग (3rd PRC) की रिपोर्ट का अनुच्छेद 3.18 केवल सेवानिवृत्ति लाभ (Superannuation Benefits) से संबंधित है।

यह उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो Contributory Pension Scheme के अंतर्गत आते हैं।

हम पुरानी परिभाषित पेंशन योजना (Defined Pension Scheme) के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यह रिपोर्ट हम पर लागू नहीं होती। इसलिए न्यायालय का निष्कर्ष पूरी तरह गलत है।

अनुच्छेद 262
न्यायालय ने कहा कि यदि वेतन संशोधित होगा तभी पेंशन संशोधित होगी।

जबकि पेंशन संशोधन का वेतन संशोधन से कोई सीधा संबंध नहीं है।

पेंशन संशोधन में वर्तमान पेंशन, महंगाई राहत (DR) तथा निर्धारित वृद्धि जोड़कर नई मूल पेंशन तय की जाती है।

15 मार्च 2011 के आदेश में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी।

अनुच्छेद 264
इसमें कहा गया कि हम CGHS के पात्र नहीं हैं।

यह गलत है। हम CGHS के अंतर्गत आते हैं।

Rule 37A के उप–नियम (4) का उल्लेख निर्णय में 23 बार किया गया और हर बार यही कहा गया कि PSU में समाहित होने के बाद कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं रहता।

इस व्याख्या को चुनौती दी जानी चाहिए।

Commutation Rules
1985 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद 15 वर्ष पश्चात कम्यूटेशन की बहाली का आदेश जारी हुआ।

**मृत व्यक्ति न्याय की पुकार नहीं कर सकते।
जीवित लोगों का कर्तव्य है कि वे न्याय के लिए संघर्ष करें।
हमारे अधिकारों के लिए कोई और नहीं आएगा;
हमें स्वयं लड़ना होगा।**

1987 के OM के पैरा 4 में अवशोषित कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया था।

बाद में सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने 15 दिसंबर 1995 को इस पैरा को निरस्त कर दिया।

अर्थात अवशोषित कर्मचारी भी कम्यूटेशन बहाली के अधिकारी हैं।

अब्दुल रशीद बनाम भारत संघ मामले में केरल उच्च न्यायालय ने 13 नवम्बर 2019 को निर्णय दिया। उसमें कहा गया कि PSU में समाहित होने के बाद कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं रहता, लेकिन सरकारी कर्मचारी के रूप में उसका पेंशन अधिकार तथा GPF की सदस्यता सुरक्षित रहती है।

किसी अन्य CPSE कर्मचारी के पास GPF नहीं होता।

इसलिए BSNL के अवशोषित कर्मचारी अन्य CPSE कर्मचारियों से भिन्न हैं।

इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान अधिकार नहीं मांग सकते।

इस प्रकार यह पूरा निर्णय अनेक विरोधाभासों से भरा हुआ, एकपक्षीय तथा BSNL के लगभग ''चार लाख अवशोषित पेंशनभोगियों'' के विरुद्ध है।

अब आगे क्या किया जाए?

याचिकाकर्ता संगठनों में एकता अत्यंत आवश्यक है। 6 जुलाई 2026 को वर्चुअल बैठक में पाँच सदस्यीय समिति गठित की गई—

* एम. के. बागची * जी. एल. जोगी
* अनुपम कौल * प्रह्लाद राय
* अशोक कौशिक

समिति को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने की संभावनाओं का अध्ययन करने का दायित्व सौंपा गया। 17 जुलाई 2026 को समिति ने सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने निष्पक्ष राय दी कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में अवश्य उठाया जाना चाहिए। हमारी अपील केवल यही होगी

1 जुलाई 2026 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाए तथा CAT की प्रधान पीठ के निर्णय को बहाल रखा जाए।

यदि उच्च न्यायालय में हम जीतते, तो दूरसंचार विभाग (DoT) सर्वोच्च न्यायालय जाता। अब जबकि हम उच्च न्यायालय में हार गए हैं, हमें स्वयं सर्वोच्च न्यायालय जाना होगा। हम इस संघर्ष को बीच में नहीं छोड़ेंगे। हम चार लाख अवशोषित पेंशनभोगियों को निराश नहीं करेंगे।

18 जुलाई 2026 को CWC की वर्चुअल बैठक में लगभग सभी पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर करने तथा एक वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करने का निर्णय लिया।